23 नवंबर, 2012 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 55वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 55.1 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ग्राम खराडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एयॉन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ए2जेड आनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 28 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 08 दिसंबर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अधिसूचित एसईजेड में 4.86 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। 06 जनवरी, 2009 को एलओए जारी किया गया था। तथापि, अतिरिक्त क्षेत्रफल अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। मैसर्स ए2जेड आनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र में निम्नलिखित के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

(क) विकास कार्य जैसे कि फिट आउट में निवेश करने के लिए प्लग एंड प्ले में वार्म शेल परिसर का परिवर्तन। अवसंरचना सुविधाओं के विकास / सृजन में भाग लेना जैसे कि कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कैंटीन तथा मनोरंजन केन्द्र और विकासक को डिजाइन, आयोजना एवं परामर्श सहायता प्रदान करना तथा वास्तविक विकास का पर्यवेक्षण एवं निगरानी।

(ख) प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित उपकरण में निवेश सहित एसईजेड का प्रचालन एवं अनुरक्षण। प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रबंध प्रशासनिक प्रबंधन, भवन सुरक्षा प्रक्रियाएं तथा अन्य आवश्यक गतिविधियां।

14 सितंबर, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुरोध को आस्थगित कर दिया क्योंकि सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि जांच के लिए प्रस्तावित करार के वित्तीय ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।"

अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में सह विकासक ने अब अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध के साथ विकासक और सह विकासक के बीच वित्तीय व्यवस्था का ब्यौरा प्रदान किया है (अनुबंध 1)।

यह अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम पुथेंक्रुज एवं कुन्नाथुनाडु, तालुक कुन्नाथुनाडु, जिला एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफोपार्क्स, केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स इनफोपार्क्स, केरल के नाम में 12.5804 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 मई, 2011 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आईटी / आईटीईएस के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 11 मई, 2012 भी उपलब्ध कराया गया है। इनफोपार्क्स तथा काग्नीजेंट के बीच पट्टा करार दिनांक 12 अप्रैल 2012 की प्रति भी उपलब्ध कराई गई है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) प्लॉट नंबर 21, टेक जोन-4, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अर्थ इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पीएलजी इंक्यूबेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अर्थ इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम में 10.006754 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 11 **मई**, 2011 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स पीएलजी इंक्यूबेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर यूनिटों सहित आईटी / आईटीईएस के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग** 1.6 **लाख वर्गफीट के एक टावर के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक** 18 **अक्टूबर**, 2012 **भी उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त**, **एनएसईजेड ने विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।**

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डेक्कन रियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम में 10 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 11 **अगस्त**, 2006 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स डेक्कन रियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में विकासक द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई खाली भूमि में अनुमत एफएसआई के निर्माण के लिए** 0.65 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सह विकासक विकसित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक** 7 **नवंबर** 2012 **उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है।**

विकास आयुक्त, **वीएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।**

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) लंधैकुलम गांव, मदुरै, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हनीवेल टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस लैब प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) के नाम में 11.705 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 30 **अप्रैल**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स हनीवेल टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस लैब प्राइवेट लिमिटेड**, **मदुरै ने एसईजेड के विभिन्न अधिकृत प्रचालनों से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए**, **जिसमें आईटी / आईटीईएस सेवाओं को सुगम बनाने के लिए अधुनातन भवन का निर्माण शामिल है**, 4.5 **एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक** 20 **जून**, 2011 **उपलब्ध कराया गया है। विकासक और प्रस्तावित सह विकासक के बीच निष्पादित पट्टा करार दिनांक** 23 **दिसंबर** 2010 **भी उपलब्ध कराया गया है।**

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने जांच के बाद विचार के लिए सह विकासक के उपर्युक्त अनुरोध की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19.3028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.648 एकड़ के क्षेत्रफल में 741036 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में अवसंरचना के विकास और / या प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 30 मार्च, 2012 और 6 जुलाई, 2012 को आयोजित बैठकों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया। पिछली बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निम्नानुसार निदेश दिया :

"सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को बताया कि विकासक और सह विकासक के बीच निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार के अनुसार सह विकासक को सेक्टर ए में शामिल भूमि के संबंध में 61 लाख रुपए प्रतिवर्ष तथा सेक्टर ए में शामिल सुपर निर्मित क्षेत्रफल के संबंध में 49.66 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके अलावा पट्टे की समाप्ति पर पट्टाधारक के अनन्य विकल्प पर पट्टा का नवीकरण किया जा सकता है। टिप्पणी की गई कि ऐसी शर्तें तथा पट्टे का अनानुपातिक रूप से अधिक किराया विकासक द्वारा भूमि की बिक्री जैसा है। इसलिए सीबीडीटी की टिप्पणियों को नोट करते हुए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अग्रेतर विचार के लिए उपर्युक्त सभी मुद्दों की जांच के बाद पट्टा करार की प्रकृति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।"

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुपालन में विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने उपर्युक्त विषय पर अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह इसके साथ अनुबंध 2 के रूप में प्रस्तुत है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.2 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड 10.617 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित उक्त एसईजेड में सह विकासक है। एसईजेड में 100 प्रतिशत प्रसंस्करण क्षेत्र है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदाता तथा टेलीकॉम वेंडर सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं	700

2.	**बैंक**	1050
3.	**एटीएम**	50
4.	**सामान्य डाटा केन्द्र**	200
5.	**व्यवसाय और सम्मेलन केन्द्र**	2000
6.	**कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र**	300
7.	**क्रेच**	1000
8.	**जिम**	1000
9.	**इंडोर गेम्स**	1000
10.	**स्पा**	500
11.	**सैलून**	200
12.	**फोटो प्रिंटिंग, सूचना केन्द्र, कूरियर पिकअप, ट्रेवल डेस्क, अग्रिम आरक्षण, संचार डिवाइस, कार्मिक ग्रूमिंग सेवा तथा स्वास्थ्य सहायता सेवाएं**	200
13.	**सुविधा स्टोर**	1000
14.	**मेडिकल सेंटर / क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक्स**	200
15.	**फार्मेसी**	40
16.	**यूनिटों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी के लिए रिटेल स्पेस, कंप्यूटर असेसरीज, गिफ्ट और नावेल्टीज, रीड एंड रेंट आदि**	1000

विकास आयुक्त, वीएसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने बताया है कि कुल 35 **प्रचालन यूनिटें हैं जो लगभग** 20000 **लोगों को सीधा रोजगार तथा** 5000 **लोगों को परोक्ष रोजगार सुविधा प्रबंधन, सुरक्षा आदि के मामले में प्रदान कर रही हैं। एसईजेड ने** 2011-12 **के दौरान** 2040 **करोड़ रुपए का निर्यात किया।** 4.2 **लाख वर्गमीटर के कुल निर्मित कार्यालय भवन क्षेत्र में से** 60 **प्रतिशत अर्थात** 2.6 **लाख वर्गमीटर आईटी / आईटीईएस निर्यात प्रचालन के लिए यूनिटों को पट्टा पर दिया गया है।** 35 **प्रतिशत क्षेत्र पार्किंग के लिए आरक्षित रखा गया है। सूचित किया गया है कि एसईजेड से प्रचालन करने वाली यूनिटों तथा एसईजेड में काम करने वाले पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की व्यवसाय, खाद्य, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा दैनिक निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सह विकासक उपर्युक्त सुविधाओं के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में (पहले से निर्मित कार्यालय भवन में) लगभग** 5 **प्रतिशत अर्थात लगभग** 20000 **वर्गमीटर के शेष स्थान को सीमांकित एवं पट्टे पर देना चाहता है। इसके अलावा अधिकांश यूनिटें** 24 **घंटे प्रचालन करती हैं तथा देर रात और रात्रि की पालियों में काम करने वाले लोगों के लिए अपेक्षित निजी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। यहां काम करने वाले अधिकांश प्रोफेशनल प्रात:** 8-9 **बजे घर से निकल जाते हैं तथा रात्रि के** 8-9 **बजे तक घर पहुंचते हैं। इस प्रकार अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास बहुत कम समय बचता है। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्पा, सैलून, सुविधा स्टोर एवं फुटकर स्थान के लिए स्थान पर लगाए गए प्रतिबंध के अधीन उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों की सिफारिश की है।**

14 सितंबर 2012 **को आयोजित पिछली बैठक में उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया था जिसमें सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए अधिकृत प्रचालनों पर आपत्ति की थी कि प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां संचालित नहीं की जाती हैं। बताया गया कि अतीत में अनुमोदन बोर्ड द्वारा समान अनुरोध अनुमोदित किए गए हैं क्योंकि ऐसे अनुरोध नियम** 11 (5) **के परंतुक के तहत शामिल हैं और इसलिए अनुमत हैं। इसके अलावा विकासक ने बताया था कि ऐसे अधिकृत प्रचालनों के**

लिए उसके द्वारा कोई कर / ड्यूटी रियायत प्राप्त नहीं की जाएगी। तथापि, प्रस्ताव पर सीबीईसी की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया।

अब सह विकासक ने केवल एसईजेड यूनिट के कर्मचारियों के लिए कुछ सेवाओं के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में पहले से निर्मित भवन में अधिकृत प्रचालनों - स्थान को पट्टा पर देने को शामिल करने का अनुरोध किया है (अनुबंध 3)।

तदनुसार, मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.3 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 अक्टूबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 8.56 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 13.20 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने आईटी / आईटीईएस सेक्टर में मौजूद आर्थिक अनिश्चितता तथा मंदी की रुझानों और एसईजेड में स्थापित यूनिटों को डीटीसी के तहत करावकाश की उपलब्ध के संबंध में अनिश्चितता के आधार पर भी आंशिक विमुक्तीकरण के लिए आवेदन किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम बेहरामपुर एवं बंडवारी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स जी पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

36.3744 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड मूलत: 24 दिसंबर, 2010 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 31 जनवरी, 2012 को 0.3919 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 36.7663 हेक्टेयर हो गया।

अब विकासक ने 8.094 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 28.673 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने इस आधार पर आंशिक विमुक्तीकरण के लिए आवेदन किया है कि 8.094 हेक्टेयर का यह क्षेत्रफल उसके एसईजेड के एनपीजेड क्षेत्र में आता है तथा यह कि वह गुड़गांव / एनसीआर की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्था / विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करना चाहता है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) मंजरी बुदरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.50675 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 मार्च, 2012 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 4.61335 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिससे कुल क्षेत्रफल 16.1204 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक के लिए कारण इस प्रकार से हैं :

क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। भूमि का स्वामित्व समूह की कंपनियों के पास है। पेशेवर ढंग से सभी औद्योगिक एवं सामाजिक अवसंरचना की योजना बनाने के लिए भूमि को शामिल करना तथा एसईजेड के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने इस अभ्युक्ति के साथ अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है कि विकासक ने पट्टा करार दिनांक 1 सितंबर 2012 की प्रति प्रस्तुत की है जो अभी तक पंजीकृत नहीं है (अनुबंध 4)। विकासक ने इस संबंध में यह कहते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि महाराष्ट्र में एसईजेड के रूप में क्षेत्रफल के अधिसूचित हो जाने के बाद ही स्टांप ड्यूटी में छूट उपलब्ध है (अनुबंध 5)। पट्टा विलेख करार करने के बाद उसे 6 माह के अंदर पंजीकृत कराना होता है। विकासक ने अधिसूचना की तिथि से 6 माह के अंदर पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत करने का वचन दिया है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) सर्वे नंबर 255, अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के पुन: अभिमुखीकरण के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 09 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने विमुक्त एसईजेड के पुन: अभिमुखीकरण के लिए अनुरोध किया है (अनुबंध 6)। एसईजेड के रूप में अधिसूचित भूमि एपीआईआईसी के साथ बिक्री करार के माध्यम से विकासक को अंतरित की गई थी। विकासक ने एपीआईआईसी की सहमति से भूमि का पुन: अभिमुखीकरण कराया है तथा संशोधित बिक्री करार प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने निम्नलिखित टिप्पणियों (अनुबंध 7) के साथ अनुरोध की सिफारिश की है :

पुन: अभिमुखीकरण का परिणाम।

(i) उनको आवंटित सर्वे नंबर में कोई परिवर्तन नहीं है तथा सर्वे नंबर 255 पुन: अभिमुखीकरण के बाद पूर्ववत बना हुआ है।
(ii) एसईजेड का क्षेत्रफल पूर्ववत बना हुआ है।
(iii) भूमि के प्रतिफल / लेनदेन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
(iv) भूमि संस्पर्शी है।

11.06 एकड़ भूमि का पुन: अभिमुखीकरण कराया गया है जो कुल अधिसूचित क्षेत्रफल का 28 प्रतिशत है।

एसईजेड के पुन: अभिमुखीकरण के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किनफ्रा) जो ग्राम चेलेंबरा, तालुक तिरुरंगाडी, जिला मालाप्पुरम, केरल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का अनुरोध

12.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13.जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड में 0.887 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण तथा 0.887 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड के कुल क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने संगत दस्तावेजों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पाया गया है कि :

(i) भूमि पर विकासक का कब्जा है।
(ii) भूमि खाली पड़ी है तथा संस्पर्शी है।
(iii) भूमि भारग्रस्तता से मुक्त है।
(iv) भूमि की फेंसिंग की जा सकती है तथा एसईजेड से होते हुए कोई सार्वजनिक मार्ग नहीं होगा।

विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्रफल के संबंध में विकास आयुक्त ने बताया है कि एसईजेड से बाहर निकलने का अनुरोध करने वाली यूनिटों में से एक ने स्वयं द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी छूटों (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) छोड़ दिया है।

जिस यूनिट ने एसईजेड से बाहर निकलने का प्रस्ताव किया है, उसे विकास आयुक्त के प्रमाण के अनुसार डिबांड किया गया है। तथापि, भूमि के जिन खंडों को अधिसूचित क्षेत्रफल में शामिल करने तथा हटाने का प्रस्ताव किया गया है वह सामूहिक रूप से 1.774 हेक्टेयर है जो कुल अधिसूचित क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक है। प्रस्ताव को विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

(vi) एमआईडीसी, नालेज पार्क, ग्राम एरोली एवं दिघे, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल 13.15 हेक्टेयर से घटाकर 11.74 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

13.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 6 जनवरी, 2012 को एलओए प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने इस आधार पर अपने एसईजेड का क्षेत्रफल घटाकर 11.74 हेक्टेयर करने के लिए आवेदन किया है कि उनके पास भारतीय व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यालय स्थान के लिए औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड के 1.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्थापित संरचना के लिए प्रतिबद्ध ग्राहक है तथा वे 13.15 हेक्टेयर के पिछले अनुमोदित क्षेत्रफल में से इस क्षेत्र को बाहर निकालना चाहते हैं।

विकासक ने यह भी बतया है कि उन्होंने अनुमोदित एसईजेड में दो संरचनाओं का निर्माण कर लिया है। 31823.16 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में भवन नंबर 1 का निर्माण 1.41 हेक्टेयर की भूमि पर किया गया है तथा इसे 13.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अनुमोदित एसईजेड से बाहर करने का प्रस्ताव किया गया है। 28990.55 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में दूसरा भवन निर्माणाधीन है तथा आरसीसी एवं ब्रिक वर्क पूर्ण होने के कगार पर है। इस संरचना को एसईजेड के क्षेत्र में बनाए रखने की योजना है। दोनों संरचनाएं खाली पड़ी हैं अर्थात कोई क्रियाशील यूनिट नहीं है या उनसे कोई औद्योगिक / वाणिज्यिक / आर्थिक गतिविधि संचालित नहीं की जा रही है तथा यह एसईजेड नियमावली के नियम 2 (1) (जेडएफ) की शर्तों के अनुसार खाली भूमि की परिभाषा को पूरा करता है। उन्होंने इन दो संरचनाओं के निर्माण के लिए कर लाभ भी प्राप्त नहीं किया है।

विकासक ने यह भी बताया है कि अवसंरचना विकास के लिए 300 करोड़ रुपए मूल्य का ऋण प्राप्त करने के लिए अनुमोदित एसईजेड के संपूर्ण भूखंड को एचडीएफसी के पास गिरवी रखा गया। एचडीएफसी द्वारा संस्वीकृत 300 करोड़ रुपए में से 275 करोड़ रुपए का उपयोग अवसंरचना विकास के लिए किया गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की सिफारिश / टिप्पणी की प्रतीक्षा है।

आईटी / आईटीईएस के लिए उनके औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल 13.15 **हेक्टेयर से घटाकर** 11.74 **हेक्टेयर करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

मद संख्या 55.4 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 14.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अंबरनाथ, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एंपायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

14.16 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 02 **जुलाई**, 2010 **को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने इस आधार पर एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि बाजार की स्थितियों तथा मैट एवं डीटीसी लागू किए जाने के कारण परियोजना आकर्षक नहीं रह गई है। विकास आयुक्त**, **एसईईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।**

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) नंदगांवपेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में 1008.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

1008.36 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 31 **अक्टूबर**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने सह विकासक मैसर्स एल्डेको इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रापर्टीज लिमिटेड के माध्यम से इस एसईजेड के विकास के लिए प्रस्ताव किया था जिसके लिए** 28 **अगस्त** 2008 **को प्राधिकार करार तथा शेयरधारक करार निष्पादित किया गया।**

अब विकासक ने निम्नलिखित आधार पर एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है :

(i) **यह कि सह विकासक प्राधिकार करार की शर्तों का पालन करने में असफल रहा है**,
(ii) **यह कि प्रस्तावित डीटीसी के कार्यान्वयन तथा वैश्विक मंदी के कारण नंदगांवपेठ**, **अमरावती जिला में एसईजेड का विकास करना संभव नहीं है।**

इस संबंध में विकास आयुक्त, **एसईईपीजेड के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।**

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) बुटीबोरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र में 147.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

147.04 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 24 **दिसंबर**, 2006 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने सह विकासक मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इस एसईजेड का विकास करने का प्रस्ताव किया था जिसके लिए टेक्सटाइल एसईजेड के विकास के लिए** 17 **जनवरी** 2008 **को सह विकासक को मंशा पत्र जारी किया गया। तथापि**, **चूंकि सह विकासक मंशा पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करने में असफल रहा है इसलिए एमआईडीसी ने सह विकासक को जारी किए गए मंशा पत्र को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा तथ्यों तथा प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर नीति के कार्यान्वयन के कारण संभावित प्रभाव तथा**

वैश्विक मंदी को ध्यान में रखते हुए एमआईडीसी ने बुटिबोरी, जिला नागपुर में टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को निरस्त करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार विकासक ने उपर्युक्त क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने का प्रस्ताव किया है।

इस संबंध में विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) कानपुर, उत्तर प्रदेश में लेदर, टेक्सटाइल तथा इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन (यूपीएसआईडीसी) को प्रदान की गई तीन औपचारिक मंजूरियों को वापस लेना

एलओए दिनांक 19 जून, 2007 के माध्यम से कानपुर, उत्तर प्रदेश में 103.90 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लेदर, टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवपलमेंट कार्पोरेशन (यूपीएसआईडीसी) को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। सभी एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं। अब विकासक ने बताया है कि चूंकि किसानों से भूमि का अधिग्रहण करने और कब्जा लेने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इस समय प्रस्तावित एसईजेड के लिए विकास कार्य शुरू करना संभव नहीं है। विकासक ने यह भी बताया है कि चूंकि एसईजेड के लिए औद्योगिक प्लाट के लिए मांग घट गई है, इसलिए प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कानपुर में एसईजेड का विकास करना उचित नहीं होगा।

उपर्युक्त तथ्य तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उपर्युक्त प्रस्तावों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, विकासक ने इस विभाग से कानपुर में एसईजेड स्थापित करने के अपने प्रस्ताव को छोड़ने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

तीन औपचारिक अनुमोदनों को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) चेय्यार सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र, चेय्यार तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला, तमिलनाडु में ट्रेडिंग एवं लाजिस्टिक की गतिविधियों सहित आटोमोबाइल / आटोमोबाइल पार्ट्स / आटो एंसिलरी तथा सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) को एलओए दिनांक 24 अप्रैल 2008 के माध्यम से 103.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चेय्यार सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र, चेय्यार तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला, तमिलनाडु में ट्रेडिंग एवं लाजिस्टिक की गतिविधियों सहित आटोमोबाइल / आटोमोबाइल पार्ट्स / आटो एंसिलरी तथा सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने बताया है कि चूंकि निर्यातकों से कोई मांग नहीं है इसलिए उन्होंने एसईजेड के वर्तमान प्रस्ताव को छोड़ने के लिए तमिलनाडु

सरकार से अनुरोध किया है। तमिलनाडु सरकार के निदेश के अनुसार, 19 अक्टूबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में सिपकॉट के बोर्ड ने सिपकॉट औद्योगिक परिसर, चेय्यार में एसईजेड के प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय लिया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.6 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समामेलन को ध्यान में रखते हुए नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक / पीवीसी ग्रेन्यूल / गार्बेज बैग / फिल्म आदि के निर्माण और निर्यात के लिए एफएसईजेड की एक यूनिट है। यह यूनिट दिसंबर 2000 में क्रियाशील हुई। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जुलाई 2011 के अनुसरण में तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू समामेलन योजना के अनुसार अपना नाम मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज करने के लिए अनुरोध किया है।

6 जुलाई, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जुलाई 2011 के अनुसरण में तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू समामेलन योजना के अनुसार अपना नाम मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज करने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, राजस्व विभाग ने एलओपी के अंतरण से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण की मांग की। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा फिर से विचार किए जाने के लिए उपर्युक्त सभी मुद्दों की जांच के बाद विकास आयुक्त, एफएसईजेड से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।"

अब विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने वर्तमान मामले की जांच करने के बाद पुन: बताया है कि वस्तुत: एसईजेड नियमावली के नियम 19 (2) के अनुसरण में अनुमोदन समिति उद्यमी में परिवर्तन को अनुमोदित कर सकती है। चूंकि एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्लास्टिक स्क्रैप प्रोसेसिंग यूनिट के एलओपी के विस्तार से संबंधित मामले के बारे में निर्णय लिया जा रहा है तथा मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक नीति प्रक्रियाधीन है इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश की प्रतियों (अनुबंध 8) के साथ अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखने के लिए अनुरोध के साथ मामला मंत्रालय के पास भेजा गया।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार के लिए पुन: प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ मैसर्स रिलायंस जाम नगर इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजेआईएल) के समामेलन के अनुसरण में रिलायंस जामनगर एसईजेड, जामनगर, गुजरात के विकासक के नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने सूचित किया है कि आरजेआईएल जो रिलायंस जामनगर एसईजेड का विकासक है, का आरआईएल के साथ समामेलन हो गया है। उन्होंने सूचित किया है कि आरजेआईएल जो आरआईएल की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, का विलय उसकी नियंत्रक कंपनी अर्थात आरआईएल के साथ गुजरात उच्च न्यायालय के अनुमोदन से विलय हो गया है।

विकास आयुक्त, जामनगर (रिलायंस एसईजेड) ने मामले के तथ्यों की जांच की है तथा अपनी टिप्पणियां / रिपोर्ट (अनुबंध 9) प्रस्तुत की है। अपने निष्कर्ष में विकास आयुक्त ने सुझाव दिया है कि चूंकि वर्तमान विकासक आरजेआईएल आरआईएल की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए आरआईएल के साथ आरजेआईएल के समामेलन का एसईजेड के प्रभावी कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। वस्तुत: जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेश में बताया गया है, समामेलन से एसईजेड की कार्य करने की दक्षता में वृद्धि हो सकती है। विकास आयुक्त ने सुझाव दिया है कि आरआईएल को अपनी एसईजेड यूनिट से हटकर विकासक के अपने कार्य के लिए लेखा का अलग ब्लाक रखने का निदेश दिया जा सकता है।

तद्नुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.7 : पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की : -

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) नवाल्लूर गांव, चेंगुलपेट तालुक और सेम्मेंचेरी गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 10.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को तीन साल की सामान्य वैधता अवधि के बाद तीन बार विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 05 नवंबर, 2012 तक वैध थी।

तद्नुसार विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने बताया है कि विकासक द्वारा एसईजेड में ग्राहकों को आकर्षित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय वे मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहे हैं तथा कुछ स्थान का शीघ्रता से अधिग्रहण करने के लिए करार पर हस्ताक्षर हो जाने की संभावना है।

विकासक ने बताया है कि अब इस क्षेत्र में रुचि बढ़ रही है तथा वे आशा करते हैं कि नवंबर 2013 तक एसईजेड क्रियाशील हो जाएगा।

अपने आवेदन पत्र में विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करने के कारण के रूप में वैश्विक मंदी, अपने सेक्टर में घटते बाजार रुझान और असहनीय वित्तीय तंगी का उल्लेख किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यह भी सूचित किया है कि विकासक के अधिकृत कार्यालय में अपनी परियोजना की समाप्ति एवं स्टेटस के संबंध में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट (अनुबंध 10) प्रदान की है जिसके माध्यम से अधिकृत अधिकारी को सूचित किया गया है कि लगभग 93 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2012 के बाद छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 40.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 40.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 25 जुलाई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक साल का पहला विस्तार (26 अक्टूबर 2010 तक) और दो साल का दूसरा विस्तार (25 अक्टूबर 2012 तक) प्रदान किया गया है।

अब विकासक ने एक साल की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने मार्च 2012 तक की स्थिति के अनुसार 5.08 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने अपने अनुरोध को इस आधार पर आधारित किया है कि मंदी के कारण व्यवसाय ठप्प पड़ा था और इसलिए विकास कार्य पूरे नहीं हो सके।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक के लिए वर्तमान एजेंडा में शामिल करने के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2012 के बाद (छठें वर्ष से बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 28.972 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 24 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अगस्त, 2012 तक वैध थी। विकासक ने

22 अगस्त 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अनुरोध किया गया। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है (अनुबंध 11)।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 22 अगस्त 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2012 (5वें वर्ष के बाद) के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड 10.275 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 24 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 मई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने 22 मई 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अनुरोध किया गया। विकासक ने बताया है कि भूमि के परिवर्तन की औपचारिकताएं चल रही हैं तथा परियोजना आईईएम तथा मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पर है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 22 मई, 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) चांदपुर चंपागाची, राजरहाट के पास, जिला 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 मई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने 22 मई 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अनुरोध किया गया। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 22 मई, 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) मौजा उत्तर गाजीपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से विकासक को 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 14 अक्टूबर, 2012 तक वैध थी। विकासक ने 14 अक्टूबर 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुरोध किया गया। विकासक ने बताया है कि भूमि को दाखिल खारिज करने तथा राज्य सरकार से भूमि से संबंधित अन्य क्लियरेंस अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 14 अप्रैल, 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) कंकसा, पानगढ़ बाजार, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जून, 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक साल का समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने 25 जून 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अनुरोध किया गया। विकासक ने बताया है कि भूमि के परिवर्तन की औपचारिकताएं चल रही हैं तथा यह कि परियोजना आईईएम तथा मास्टर प्लान का कार्य भी प्रगति पर है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 25 जून 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) ग्राम हामीपुर, खेटावास, सैदपुर एवं वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 09 अगस्त, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 18 अगस्त, 2007 के माध्यम से विकासक को 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 103.0154 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 मार्च, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को दो साल का समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 09 अगस्त, 2012 तक वैध थी। विकासक ने 9 अगस्त 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अनुरोध किया गया। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अपनी टिप्पणियां (अनुबंध 12) निम्नानुसार प्रदान की है :

(i) **विकासक के एसईजेड का क्षेत्रफल संस्पर्शी नहीं है। राजस्व रास्ता के कारण।**
(ii) **चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में अनेक न्यायिक मामले लंबित हैं।**
(iii) **विकासक लगभग 14 लाख रुपए की लागत वसूली प्रभार के गैर भुगतान का डिफाल्टर भी है।**

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.8 : औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) उथुकुली गांव, इरोड जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 मई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 31 **मई**, 2006 **के माध्यम से** 101.58 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 103.64.57 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 9 **जून**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। दो साल की अवधि के लिए अर्थात** 30 **मई** 2012 **तक विकासक के एलओए की अवधि बढ़ाई गई। आज तक की स्थिति के अनुसार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है।**

विकासक ने अब निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है :

"**हमने पहले सूचित किया था कि विष्णुराम टेक्सटाइल्स लिमिटेड**, **एंजल एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड**, 7 **हिल्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड**, **फ्यूटेक्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जैसी यूनिटें जून** 2012 **तक प्रचालन आरंभ कर देंगी। तमिलनाडु में असामान्य विद्युत कटौती तथा विद्युत की कमी और तिरुपुर क्षेत्र में डाइंग यूनिटों द्वारा प्रचालन बंद किए जाने के कारण टेक्सटाइल में सामान्य मंदी का दौर है इससे ये यूनिटें भी प्रभावित हुई हैं तथा वे अपना प्रचालन शुरू करने में समर्थ नहीं हुई हैं। सरकार के प्रयासों के कारण उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक विद्युत कटौती में कमी आ जाएगी। इसके अलावा यूनिटों के लिए समर्थन को सुदृढ़ करने के लिए हमने जून** 2013 **में निर्माण शुरू कर दिया है। एसईजेड में यूनिटें जून** 2013 **से पहले अपना प्रचालन शुरू कर सकती हैं तथा दिसंबर** 2013 **से पूर्व निर्यात आय आरंभ हो सकती है।**

विकासक ने सूचित किया है कि निम्नलिखित डिफाल्ट प्रचालन पूर्ण हो गए हैं :

(i) **मौजूदा सड़क का सुदृढ़ीकरण**
(ii) **शेड का निर्माण पूरा हो गया है तथा कुछ अतिरिक्त / सुधार कार्य किया जा रहा है।**
(iii) **जून** 2013 **तक अपना प्रचालन शुरू करने के लिए यूनिटें सहमत हो गई हैं तथा दिसंबर** 2013 **तक निर्यात आय की उम्मीद है।**

विकास आयुक्त, **एमईपीजेड ने सूचित किया है कि चूंकि विकासक ने रैपिंग बिल्डिंग**, **वीविंग बिल्डिंग**, **गारमेंट बिल्डिंग तथा विद्युत परियोजना का निर्माण कर लिया है (जलाशय के प्रयोजनार्थ खुदाई का कार्य किया गया है ताकि** 75 **लाख लीटर पानी का भंडारण किया जा सके) तथा परियोजना को लागू करने का इच्छुक है इसलिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ बैठक में प्रस्ताव को शामिल किया जा सकता है।**

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.9 : 7वें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो जगतसिंहपुर जिला, **उड़ीसा में** 1630.496 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड का विकासक है तथा जिसे** 26 **अक्टूबर** 2006 **को एलओए प्रदान किया गया है**, **ने** 7**वें साल के लिए अपनी एसईजेड परियोजना की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।**

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि इस मामले में वस्तुगत स्थिति का पता लगाने तथा भूमि के अधिग्रहण तथा उसे विकासक को ट्रांसफर करने के लिए अपेक्षित समय सीमा का सुनिश्चय करने के लिए 23 अक्टूबर 2012 को उड़ीसा सरकार (उद्योग विभाग) तथा उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना निगम (इडको) जो प्रस्तावित भूमि का पट्टा करता है, के विचार भी आमंत्रित किए गए हैं।

चूंकि उक्त पत्र का जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक में रखने के लिए प्रस्ताव को अग्रेषित किया है। तथापि, राज्य सरकार की राय के आधार पर विकास आयुक्त की सिफारिश स्वयं अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.10 : रायगढ़, महाराष्ट्र में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए 7 जनवरी 2008 के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक मैसर्स रीवा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

रायगढ़ में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए 7 जनवरी 2008 को उपर्युक्त एसईजेड को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को दो समय विस्तार प्रदान किया गया है तथा पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 6 जनवरी 2011 तक वैध है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजे के कार्यालय ने 6 जनवरी 2012 तक एक और साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक से प्रस्ताव दिनांक 18 जुलाई 2011 अग्रेषित किया है।

तद्नुसार, यह अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए लाया गया है।

मद संख्या 55.11 : यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (पहला विस्तार)

(i) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने / पुन: वैध करने के लिए मैसर्स लीला वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

फर्मास्युटिकल फार्मुलेशन के विनिर्माण के लिए 15 जून 2010 को उपर्युक्त यूनिट को एलओपी जारी किया गया था। यूनिट को एलओपी इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि यह निर्गम की तिथि से एक साल की अवधि के लिए वैध होगा और यह कि यह एक साल की अवधि के अंदर या ऐसी अवधि के अंदर जो बढ़ाई जा सकती है, परियोजना को लागू करेगी और उत्पादन शुरू करेगी। एलओपी की वैधता अवधि 14 जून, 2011 को समाप्त हो गई है। यूनिट द्वारा पट्टे पर लिया गया भूखंड 27 अक्टूबर 2010 को पंजीकृत कराया गया तथा यूनिट ने पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति प्रस्तुत की है।

तथापि, यूनिट ने परियोजना को लागू नहीं किया तथा 25 सितंबर 2012 को विनिर्माण शुरू करने के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया। यूनिट को सूचित किया गया कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (5) के प्रावधान के अनुसार 14 जून 2011 को वैधता अवधि समाप्त मानी गई है।

अब यूनिट ने बताया है कि उन्हें एलओए की वैधता की निर्धारित अवधि के बारे में जानकारी नहीं थी तथा अपनी ओर से चूक के लिए खेद प्रकट किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि वित्तीय तंगी के कारण तथा एसईजेड में बिजली उपलब्ध न होने के कारण भी वे परियोजना को लागू नहीं कर सके।

विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने वर्तमान एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने / पुन: वैध करने के लिए मामले को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का अनुरोध किया है।

तद्नुसार, यह अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए लाया गया है।

मद संख्या 55.12 : तीसरे से छठें साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 9 जुलाई, 2011 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मैसर्स इनफोपार्क एसईजेड, कोच्चि की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो इनफोपार्क एसईजेड में सह विकासक है, ने एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध किया था। इनफोपार्क एसईजेड की अनुमोदन समिति द्वारा 10 जुलाई 2008 को यूनिट को एलओए प्रदान किया गया। इसके बाद आज तक एसईजेड द्वारा तीन समय विस्तार प्रदान किया गया है।

जब यूनिट ने एक और साल के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एसईजेड से संपर्क किया तो एसईजेड ने टिप्पणी की कि एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक और साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। इस मामले में यूनिट ने इस प्रावधान का पालन नहीं किया है तथा अपेक्षित प्रमाण या दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उनके कार्यालय द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने के उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड के कार्यालय ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

इस बीच यूनिट ने अब सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र तथा वास्तविक साइट के फोटोग्राफ संलग्न किए हैं (अनुबंध 13)।

अब मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 25 सितंबर 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनीचेम एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 26 सितंबर, 2008 के माध्यम से दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनिकेम एलएलपी को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को विकास आयुक्त, केएएसईजेड के कार्यालय द्वारा दो साल का समय विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 25 सितंबर 2012 तक तीसरे वर्ष के लिए समय विस्तार प्रदान किया गया। अब यूनिट ने निम्नलिखित आधार पर अपने एलओपी की वैधता अवधि 24 माह के लिए पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है :

(i) **भूमि के विकास पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं तथा फेंसिंग के निर्माण पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।**

(ii) **विकासक को 7 लाख रुपए के प्रभारों का भुगतान किया गया है।**

(iii) **भवन के लिए विस्तृत लेआउट प्लान के लिए उन्होंने सनदी इंजीनियर एवं परामर्शदाता की सेवाएं ली हैं।**

(iv) **वे गैस पाइप लाइन, पानी एवं बिजली की आपूर्ति के लिए अनुबंध कर रहे हैं।**

(v) परियोजना की लागत तथा वित्त पोषण के साधन प्रस्तुत किए गए हैं।

(vi) ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स से मियादी ऋण तथा कार्यकारी पूंजी ऋण संस्वीकृत किया गया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड के सिफारिशें की इस प्रकार हैं :

यूनिट एलओए की बढ़ाई गई अवधि के दौरान कोई विकास कार्य करने में असफल रही है। विकास आयुक्त ने यूनिट के साइट का निजी तौर पर दौरा किया तथा पाया गया कि यह खुला प्लाट है तथा कोई गतिविधि नहीं चल रही है। यूनिट द्वारा भूमि भराव का कार्य तथा चारदीवारी का कार्य भी शुरू नहीं किया गया। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने सिफारिश की है कि एलओपी की वैधता अवधि पुन: नहीं बढ़ाई जानी चाहिए तथा यूनिट को प्लाट के नए आवंटन तथा विनिर्माण की अपनी प्रस्तावित गतिविधियों के लिए नए एलओए के लिए आवेदन करने की सलाह दी जा सकती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर 2012 के बाद 24 माह की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध तथा उस पर विकास आयुक्त, केएएसईजेड की सिफारिशें विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हैं।

(iii) 25 मई, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स राजतरु इनफोटेक एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 26 मई 2008 के माध्यम से एरिमेशन साफ्टवेयर, पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन तथा बीपीओ के निर्माण एवं निर्यात के लिए मिहान एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स राजतरु इनफोटेक एंटरटेनमेंट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को विकास आयुक्त, मिहान के कार्यालय द्वारा दो साल का समय विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 25 मई 2012 तक तीसरे वर्ष के लिए समय विस्तार प्रदान किया गया। यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 25 मई 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने बताया है कि 2009 से 2012 के पूर्वार्ध तक एसईजेड में उनको पानी एवं विद्युत की मुख्य आवश्यकता उपलब्ध नहीं थी और इसके उपलब्ध होने की संभावना भी पक्की नहीं थी जिसकी वजह से भवन निर्माण आदि के लिए निवेश के सभी निर्णय आस्थगित कर दिए गए। वे सुविधा का निर्माण शुरू नहीं कर सके और परिणामत: समय सीमा के अंदर परियोजना लागू नहीं कर सके। तथापि, अब उन्होंने अपनी विकास योजनाओं को अनुमोदित करा दिया है तथा वैधता अवधि (अनुबंध 14) बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त होते ही वे निर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं।

विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) 3 दिसंबर 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो विलानकुरिची गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में ईएलसीओटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 04 दिसंबर, 2007 के माध्यम से मैसर्स ओपीएएल को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को विकास आयुक्त, एमईपीजेड के कार्यालय

द्वारा तीन साल का समय विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 3 दिसंबर 2012 तक 6 माह के लिए समय विस्तार प्रदान किया गया।

अब विकास आयुक्त, एमईपीजेड के कार्यालय में 6 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 3 जून 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अग्रेषित किया है। वैधता अवधि बढ़ाने के कारण इस प्रकार हैं :

(i) यूनिट ने साफ्टवेयर विकास ब्लाक 1 का 60 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है तथा मार्च 2013 तक शेष सिविल कार्य के पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। निर्माण साइट से नवीनतम फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए हैं (अनुबंध 15)।

(ii) यूनिट ने एसईजेड में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(iii) यूनिट हर हाल में वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही तक अपना प्रचालन शुरू कर देगी।

एसईजेड के अधिकृत अधिकारी ने यूनिट के क्षेत्र में संचालित निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण किया है तथा अपनी टिप्पणियां निम्नानुसार प्रस्तुत की हैं :

- ब्लाक 1 यूटिलिटी के लिए अवसंरचना कार्य पूरा हो गया है तथा शेष ब्लाकों के बेसमेंट एरिया का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है।
- ब्लाक 1 (जी प्लस 4 फ्लोर) में 180000 वर्गफीट का बुनियादी सुपर स्ट्रक्चर कार्य पूरा हो गया है।
- युटिलिटी एरिया की इमारत पूरी हो गई है। फिनिशिंग का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
- ब्लाक 1 में 50 प्रतिशत इंटीरियर वर्क पूरा हो गया है।
- आंतरिक सड़क कार्य के लिए आयोजना अनुमोदित हो गई है।
- सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण शुरू हो गया है।
- प्रतिष्ठित ठेकेदार अर्थात मैसर्स यूआरसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिन्होंने परियोजना की समय से समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए 80 प्रतिशत कार्यबल तैनात किया है। तथापि, कोयंबटूर में बारिस का मौसम समाप्त हो जाने के बाद कार्य की गति और बढ़ने की संभावना है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 5वें वर्ष के बाद 3 जून 2013 तक 6 माह की अगली अवधि के लिए एसईजेड में अपनी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.13 : पेट्रोनेट एलएनजी टर्मिनल से दाहेज एसईजेड क्षेत्र में अपने परियोजना स्थल तक 16 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन लाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड (टीईएल) जो दाहेज एसईजेड में सह विकासक है, ने पेट्रोनेट एलएनजी टर्मिनल से दाहेज एसईजेड क्षेत्र में अपने परियोजना स्थल तक 16 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन लाने के लिए अनुमति / अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

टीईएल 1500 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन तथा दाहेज एसईजेड में आवश्यक पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए विद्युत अवसंरचना के विकास में लगा है।

पिछली बार (53वीं बैठक में) अनुमोदन बोर्ड ने दाहेज में जीआईडीसी के जलाशय से एसईजेड में उनके परियोजना स्थल पर 914 एमएम व्यास की एमएस वाटर पाइप लाइन लाने के लिए इस शर्त के अधीन मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड के एक अनुरोध को अनुमोदित किया था कि ड्यूटी लाभ एसईजेड के अंदर संचालित की गई गतिविधियों तक सीमित होंगे।

सह विकासक ने अपने वर्तमान अनुरोध को निम्नलिखित आधारों पर आधारित किया है :

- टीईएल ने बताया है कि उनकी परियोजना के अधिष्ठापन एवं प्रचालन के लिए शीघ्र सतत गैस आपूर्ति की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने दाहेज में स्थित पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) के टर्मिनल से दाहेज एसईजेड में अपने प्लांट तक समर्पित गैस पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया। समर्पित पाइप लाइन में पीएलएल के दाहेज टर्मिनल के अंदर कस्टडी ट्रांसफर बिंदु (बिंदुओं) पर मीटर की सुविधा (सुविधाएं) होंगी तथा इसका प्रयोग गैस आपूर्तिकर्ता / आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिलिंग के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।
- टीईएल ने पत्र दिनांक 27 अगस्त 2008 के माध्यम से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का अनुमोदन प्राप्त किया है।
- चूंकि टीईएल एसईजेड में सह विकासक है इसलिए उनके प्लांट को आपूर्त की गई गैस पर ड्यूटी एवं कर से छूट है। अत: इसका ड्यूटी एवं करों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- विकासक अर्थात दाहेज एसईजेड लिमिटेड ने प्रस्ताव की जांच की है तथा अनुमति प्रदान की है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने वर्तमान अनुरोध के लिए अनुमति प्रदान करने के अनुरोध के साथ प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.14 : दाहेज एसईजेड / जीआईडीसी पाइपिंग कोरिडोर में एथिलीन पाइप लाइन बिछाने के लिए मैसर्स अणुशक्ति स्पेशियलिटी एलएलपी का अनुरोध

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स अणुशक्ति स्पेशियलिटीज एलएलपी जो दाहेज एसईजेड में एथिलीन पाइप लाइन बिछाने के लिए यूनिट है, ने दाहेज एसईजेड / जीआईडीसी पाइपिंग कोरिडोर में एथिलीन पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुमति / अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

मैसर्स अणुशक्ति एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, को (1) 2-मेथाइल-6- एथिल एनिलाइन तथा अन्य एथिलेशन उत्पाद (2) क्लोरो एनिलाइन, डिक्लोरो एनिलाइन तथा अन्य हाइड्रो जेनरेशन उत्पादों और (3) मोनो क्लोरोबेंजीन तथा अन्य क्लोरिनेशन उत्पादों एवं उपोत्पाद (ए1 (ओएच) / ए1203) के विनिर्माण के लिए 14 मार्च 2012 को एलओपी जारी किया गया था।

यूनिट ने एथिलीन पाइप में निम्नलिखित ब्यौरों के साथ आरओयू से होते हुए दाहेज एसईजेड में पाइप कोरिडोर में एथिलीन पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुमति / अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

(i) पाइप का विनिर्देशन : 2 इंच व्यास, अनुसूची 80 पाइप, एमओसी-कार्बन स्टील
(ii) पाइप की गहराई : 1.2 मीटर
(iii) लगभग लंबाई : 4000 मीटर
(iv) प्रयोग का अधिकार (आरओयू) : 2 मीटर

यूनिट ने बताया है कि विकासक अर्थात मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड ने एथिलीन पाइप लाइन बिछाने के लिए 4 जून 2012 को अपना अनुमोदन प्रदान किया है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने आरओयू से होते हुए दाहेज एसईजेड में पाइप कोरिडोर में एथिलीन पाइप लाइन बिछाने के लिए मैसर्स अणुशक्ति स्पेशियलिटी एलएलपी को अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध के साथ प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.15 : सन्निकटता में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध

(i) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रामनक्कापेटा गांव में बहु उत्पाद्र एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

24 जनवरी 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 1013.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, विकासक ने एसईजेड को अधिसूचित करने के लिए अनुरोध किया था। चूंकि एसईजेड से एक सार्वजनिक रास्ता तथा क्रीक गुजर रहा है इसलिए विकासक को सूचित किया गया कि एसईजेड को तभी अधिसूचित किया जाएगा जब सन्निकटता स्थापित हो जाएगी। विकासक ने अधिसूचना से पूर्व सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया तथा बताया है कि मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रसंस्करण क्षेत्र तथा उपलब्ध सार्वजनिक रास्ता एसईजेड के केवल गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से होकर गुजरेगा। विकासक ने दो अंडरपास, एक ओवरब्रिज तथा सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर चारदीवारी का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित अंडरपास, ओवरब्रिज तथा चारीदीवारी के लोकेशन को दर्शाने वाले मैप के साथ विकासक का अनुरोध अनुबंध 16 के रूप में संलग्न है।

14 सितंबर 2012 को आयोजित पिछली बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा विकास आयुक्त, वीएसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण आस्थगित कर दिया गया।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अब एसईजेड के लिए प्रस्तावित भूमि के खाली होने तथा सन्निकटता स्थापित करने के संबंध में व्यापक रिपोर्ट (अनुबंध 17) प्रस्तुत की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.16 : गीगाप्लेक्स एसईजेड में सुविधा का पूर्णत: निर्माण होने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, एयरोली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में सिरेन एसईजेड से प्रचालन करने के लिए मैसर्स आईगेट कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर आईटी 5, एयरोली नालेज पार्क, एमआईडीसी - आरआरसी, जिला थाणे, महाराष्ट्र में प्रस्तावित यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स गीगाप्लेक्स एसईजेड में उपर्युक्त प्रस्तावित यूनिट ने बताया है कि अपने विदेशी ग्राहकों से की गई प्रतिबद्धता के कारण उन्हें सितंबर 2012 के अंत तक अपना प्रचालन शुरू करने की आवश्यकता है। उनके व्यवसाय की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए उनके विकासक मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माइंड स्पेस एयरोली एसईजेड में इंक्यूबेशन सुविधा का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उनके ग्रुप की कंपनी मैसर्स सिरेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है तथा यह गीगाप्लेक्स एसईजेड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है।

उन्होंने यह भी बताया है कि वे गीगाप्लेक्स एसईजेड के लिए अधिसूचित यूनिट अनुमोदन समिति से एलओए प्राप्त करेंगे तथा इसके बाद गीगाप्लेक्स एसईजेड में संबंधित परिसरों में सिरेन एसईजेड से अपने प्रचालनों को शिफ्ट करेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि सिरेन एसईजेड में इंक्यूबेशन स्पेस में प्रयुक्त तथा इसके बाद गीगाप्लेक्स एसईजेड में अपने लोकेशन पर शिफ्ट किए गए उपकरणों पर कोई परोक्ष कर लाभ प्राप्त नहीं करेंगे।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 59 दिनांक 18 जून 2010 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ मैसर्स आईगेट कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अग्रेषित किया है कि यह एयरोली में सिरेन एसईजेड, जिला थाणे में या गीगाप्लेक्स एसईजेड, नवी मुंबई, जिला थाणे में अनुमोदन समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित यूनिट नहीं है (अनुबंध 18)।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.17 : डीटीए में डाटा बैकअप टेप / मीडिया के मूवमेंट के लिए मैसर्स आईबीएम दक्ष बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

मैसर्स आईबीएम दक्ष बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत प्रचालन अर्थात आईटी / आईटीईएस के संचालन के लिए प्लाट नंबर 20 एवं 21, सेक्टर 135, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स सीव्यू डवलपर्स लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 16 जून 2010 को एलओए प्रदान किया गया था।
यूनिट ने भवन नंबर 8, टावर बी, डीएलएफ फेज-2, गुड़गांव में स्थित अपनी डीटीए यूनिट को एसईजेड से बाहर बैकअप टेप / मीडिया के मूवमेंट की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूनिट ने बताया है कि इन बैकअप डाटा टेप को ऐसी परिस्थितियों में इसकी सफल रिकवरी द्वारा डाटा के किसी आनुषंगिक नुकसान से बचने के लिए गुड़गांव में स्थित अपनी डीटीए यूनिट में लगाए गए सर्वर पर दोहराने की आवश्यकता है।

यूनिट से प्राप्त प्रस्ताव को 25 जुलाई 2012 को यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया जिसमें विचार विमर्श के बाद यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 13 मार्च 2012 को अनुमोदन बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस विषय पर दिशानिर्देश लंबित होने तक अनुमोदन बोर्ड के पास प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

इसे ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 55.18 : एसईजेड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना

प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों पर प्रारूप नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि एसईजेड में प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों की वैधता अवधि 30 जून 2012 को समाप्त हो रही थी, इसलिए 6 जुलाई 2012 को आयोजित 53वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 30 सितंबर 2012 तक ऐसी सभी यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि की।

प्लास्टिक नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक वाणिज्य विभाग द्वारा एसईजेड में ऐसी सभी प्लास्टिक रिप्रोसेंसिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि 3 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2012 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पुन: बढ़ाने का निर्णय लिया गया तथा यह शर्त रखी गई कि

प्लास्टिक यूनिटें भौतिक निर्यात के लिए मूल्य वृद्धि के लिए मशीनरी आदि की स्थापना के लिए ठोस प्रयास करेंगी तथा ऐसी यूनिटों के संबंध में अंतिम रूप दी जा रही नीति के प्रावधानों का पालन करेंगी।

31 **दिसंबर**, 2012 **तक प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के एलओपी की बढ़ाई गई अवधि पुष्टि के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

मद संख्या 55.19 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) 'कैब सेवा' किराए पर लेने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स ईआई डुपोंट सर्विसेज सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे वीएसईजेडजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स ईआई डुपोंट सर्विसेज सेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 'कैब सेवा' किराए पर लेने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। यूनिट के प्रस्ताव को 31 **मई** 2012 **को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया जहां इसे इसके सदस्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।**

यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 4 **अक्टूबर** 2012 **के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र** (**अनुबंध** 19) **में यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****